

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ
संख्या-एम०ई०-३/२०१८/२८२९ लखनऊ-दिनांक ०८ अगस्त, २०१८

यू०पी० नीट यू०जी० २०१८ के संबंध में आवश्यक सूचना

रिट याचिका (सिविल) संख्या-२६७/२०१७ दार-उस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक ९.५.२०१७ द्वारा प्रस्तर-४ में निम्नांकित आदेश पारित किये गये हैं:-

4. *After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filled by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.*

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुसार आल इण्डिया की प्रथम तथा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर प्रवेशित अभ्यर्थी उ०प्र० राज्य की द्वितीय काउन्सिलिंग के लिए अर्ह नहीं है।

यदि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश की द्वितीय काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर आवंटन प्राप्त करते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

महानिदेशक